

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय "डॉ. पट्टाभि भवन" 5-9-11, सैफाबाद हैदराबाद - 500 004 Andhra Bank

Head Office
"Dr. Pattabhi Bhavan"
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad - 500 004.

विभाग DEPT: Merchant Banking Division Telefax 040-23230883;Tel.No.040-23252371 E-mail: mbd@andhrabank.co.in

Dt: 30.01.2020

Lr. No. 666/25/P.189/256

BSE Limited 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Mumbai - 400001 Fax No. 022-22723121

Scrip Code: 532418

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (East)

Mumbai - 400 051

Fax: 022-26598237/38

SYMBOL: ANDHRABANK

Dear Sirs,

Sub: Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled to be held on

February 26, 2020

Ref: Compliance to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015

Further to our Letter No. 666/25/P.30/P.189/252 dated 30.01.2020, we hereby submit the Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled to held on Wednesday, February 26, 2020 at 11.00 a.m. at Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad- 500004.

This is for your information and record.

Yours faithfully, For Andhra Bank

(Raghuram Maliela) Company Secretary



असाधारण सामान्य बैठक

बुधवार, 26.02.2020, को सुबह 11.00 बज़े

स्थान : प्रधान कार्यालय डॉ पट्टाभी भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

on

Wednesday, 26.02.2020 at 11.00 am

at

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004. Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.



विषय सूची CONTENTS

	पृष्ठ संख्य
	Page No
सूचना	
NOTICE	17
सूचना से संबंधित टिप्पणियाँ	4
NOTES TO NOTICE	
उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास	13
ATTENDANCE SLIP, ENTRY PASS	
ऑक्सी फा र्म	14
PROXY FORM	30

CALENDAR OF IMPORTANT EVENTS	
Relevant Date for calculation of Price	Monday, 27.01.2020
Specified / Cut -off Date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the voting either through Remote e- voting or at the General Meeting through Tab Voting	Tuesday, 18.02.2020
Last Date for receipt of Proxy Forms/ Resolutions appointing Authorised Representatives	Thursday, 20.02.2020
Remote e-voting Period	Sunday to Tuesday 23.02.2020 to 25.02.2020 (From 10.00 am to 05.00 pm)
Date and Time of Extra - ordinary General Meeting	Wednesday, 26.02.2020 at 11.00 am

प्रधान कार्यालय : डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.

शेयरधारक एवं निवेशक संपर्क अनुभागः डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि. ए. - 209, सी. वींग, दूसरा तल, गोकुल औद्योगिक एस्टेट सगवॉग, मारोल सहकारी औद्योगिक क्षेत्र, बी/हच टाइम्स स्कॉयर, अंधेरी (इ) मुम्बई - 400 059 फोन : 28516020 - 28516023

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Shareholders & Investor Relation Section: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Registrar & Share Transfer Agents: M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT Ltd. A - 209, C Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate Sagbaug, Marol Co-op Industrial Area, B/H Times Square, Andheri (E) Mumbai - 400 059

Phone: 28516020 - 28516023



विभाग: व्यापारी बैंकिंग प्रभाग प्रधान कार्यालय: हैदराबाद

<u>सूचना</u>

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, 26 फरवरी, 2020 को प्रात: 11.00 बज़े 'पट्टाभि भावनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004 में निम्न व्यवसाय की पूर्ति हेत् आयोजित की जाएगी :

मद सं. 1 : भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन द्वारा ईक्विटी शेयर जारी करके पूंजी बढाना :

निम्न विशेष संकल्प पर विचार करना एवं यदि उपयुक्त समझा जाए तो विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

संकल्प किया जाता है कि "बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 ("अधिनियम"), बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1980 ("योजना") के लागू प्रावधानों के अनुसार इसे हल किया गया, समय-समय पर संशोधित और सेबी के (जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम 2018 के अधीन (इसके बाद "सेबी आईसीडीआर विनियम" के रूप में संदर्भित), डिपॉजिटरीज अधियिम 1996, सेबी (डिपोजिटरीज और प्रतिभागी) विनियम 2018, सेबी (शेयरों और टेकओवर का सबस्टेंटियल अधिग्रहण) विनियम 2011 (इसके बाद "सेबी एसएएसटी विनियम" के रूप में संदर्भित), सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 (इसके बाद "सेबी लिस्टिंग रेग्लेशन" के रूप में संदर्भित), आन्ध्रा बैंक (शेयर और मीटिंग्स) विनियमन, 2003 (इसके बाद "बैंक विनियम" के रूप में जाना जाता है), और इसमें कोई भी संशोधन या प्न: अधिनियमित, वित्त मंत्रालय पत्र एफ.नं. 7/23/2019-बीओए दिनांक 26.12.2019, दि. 30.01.2020 की बैठक में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन और भारत सरकार के अनुमोदन, सहमति, प्रतिबंध, यदि कोई हो, के अधीन (इसके बाद " भारत सरकार (भारतीय रिजर्व बैंक) (इसके बाद "आरबीआई" के रूप में जाना जाता है), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (बाद में "सेबी" के रूप में संदर्भित), स्टॉक एक्सचेंज जिन पर बैंक की प्रतिभृतियां सूचीबद्ध हैं और / या अन्य इस संबंध में प्राधिकरण की आवश्यकता हो सकती है, और इस तरह के नियमों और शर्तों और संशोधनों के अधीन ऐसे प्राधिकरणों दवारा ऐसी मंजूरी देकर निर्धारित किया जा सकता है और जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो सकते हैं ("निदेशक मंडल इस संबंध में बोर्ड दवारा गठित या गठित किसी भी "सिमिति" को शामिल करें) ऐसे अन्य अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्र, अधिसूचनाएं, दिशा-निर्देश समय-समय पर लागू हो सकते हैं या किसी भी संशोधन या फिर से जारी करने के लिए यहां, बैंक के शेयरधारकों की सहमति से बैंक के निदेशक मंडल को 11,10,49,416 (ग्यारह करोड़ दस लाख उनचास हजार चार सौ सोलह) तक इक्विटी शेयर 10/- रुपये प्रत्येक को तैयार करने, ऑफर करने, जारी करने, और आवंटित करने के लिये भारत सरकार के एवज में भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है प्रीमियम सहित इक्विटी शेयर मूल्य रूपये 8.01 प्रति इक्विटी शेयर और एसईबीआई आईसीडीआर विनियमों 164(1) के अध्याय V के तहत विनियमन आधार पर

नकद के लिए अधिमान आधार पर **200 करोड़ रुपये (दो सौ करोड़ रुपये मात्र)** तक की कुल राशि के तहत विनियमन के अनुसार रूपये **18.01 प्रति इक्विटी** शेयर निर्धारित की गई"

'यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय V के अनुसार जारी मूल्य निश्चित करने के लिए संबंधित तारीख 27.01.2020 है।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये जाने वो इक्विटी शेयर, लाभांश समेत सभी मामलों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ समान होंगे और नये जारी करने के लिये सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 167 के तहत निर्धारित लॉक-इन आवश्यकताओं के अधीन होंगे के लिए, और स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होंगे जहाँ पर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।"

'यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड की अपेक्षाओं या भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या जारी, आबंटन एवं सूचीबद्ध करने एवं बोर्ड की सहमित के अनुरूप उनके अनुमोदनों, सम्मितियों, अनुमितियों की मंजूरी के समय अन्य प्राधिकारियों द्वारा लागू किये के अनुसार प्रस्ताव में कोई संशोधन स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार होगा।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्द्वारा ऐसे सभी कार्य, मामले एवं विषय, जो अपने संपूर्ण विवेकाधीन अधिकारों के अंदर आवश्यक, उचित एवं वांछित समझें, करने एवं ईक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में कोई प्रश्न, किठनाई या संदेह का निपटान करने एवं ऐसे सभी कार्य, मामले एवं विषय एवं सभी दस्तावेजों एवं लिखतों का जैसा आवश्यक, वांछित या उचित हो, अपने संपूर्ण विवेकाधीन अधिकारों के अंदर जैसा उपयुक्त, सही या वांछित समझे, शेयरधारकों की और संपत्ति या अनुमोदन की अपेक्षा किये बिना अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने का प्राधिकार दिया जाता है एवं यह समझें कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों द्वार अनुमोदन दिया जाना माना जाएगा।'

"यह संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार जारी तथा आवंटित किए जाने वाले नए इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहां बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं"।

"यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस प्रकार यहां दिए गए सभी या किसी भी शक्ति को निदेशक (कों) की एक सिमिति, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी निदेशक(कों) या ऐसे अन्य अधिकारी(यों) को सौंपने के लिए अधिकृत है जैसा कि एसबीईबी विनियमों और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है। "

निदेशक मंडल के आदेश से

टिप्पणियां :

1. वर्णनात्मक विवरणी

बैठक के कारोबार के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला स्पष्टीकरण वक्तव्य यहां संलग्न है।

2. मतदान अधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार नए प्रतिनिधि बैंक का कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के अतिरिक्त मतदान अधिकारों का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

उपर्युक्त की शर्त पर, बैंक विनियम के विनियम 68 के अनुसार, निर्दिष्ट तिथि यानी 18.02.2020 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को रिमोट ई-वोटिंग / चुनाव द्वारा वोटिंग हेतु उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेत् एक वोट प्राप्त होगा।

कृपया नोट करें कि इस तिथि को शेयर होल्ड करने वाले मात्र शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग / मतदान द्वारा वोट देने हेत् पात्र होंगे ।

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

उपर्युक्त बैंक विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले दर्ज व्यक्ति को, मतदान हेतु, इसका एकल धारक माना जाएगा । अत:, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने और संकल्पों पर मतदान देने हेतु पात्र हैं।

3. निर्दिष्ट तिथि

बैंक ने शेयरधारकों की वोटिंग की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु मंगलवार, 18.02.2020 निर्दिष्ट तिथि निर्धारित की है।

4. प्रॉक्सी की नियुक्ति

शेयरधारक जिसे बैठक में भाग लेकर वोट करने का हकदार है, को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मतदान में भाग लेने हेतु प्रॉक्सी को नियुक्त (बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को छोड़कर) करने का अधिकार है और ऐसा प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

किसी भी व्यक्ति को एक प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आन्ध्रा बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो ।

हालाँकि, इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

बैंक विनियमन 70 (vi) के अनुसार, प्रॉक्सी के लिखत के गारंटर को बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने का अधिकार नहीं होगा, जिससे ऐसा लिखत संबंधित है ।

प्रभावी होने हेतु, प्रॉक्सी फार्म बैठक की तिथि से कम से कम **चार दिन** पहले याने कि गुरुवार, **20.02.2020** को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। जो इस पते पर भेजा जाना चाहिये- कंपनी सेक्रेटरी, व्यापारी बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद -500004.

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने हेतु कंपनी के विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्यप्रति, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति वाले संकल्प की एक प्रति, बैठक की तिथि से न्यूनतम 4 दिन पूर्व याने कि गुरुवार, 20.02.2020 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले हैदराबाद में बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा करा दी जाए।

किसी भी व्यक्ति को एक प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आन्ध्रा बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो ।

6. उपस्थिति सह प्रवेश हेतु पासः

शेयरधारकों की सुविधा हेतु, उपस्थितिपर्ची-सह-प्रवेश पास इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/ अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे फार्म भरकर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास हेतु बैठक के स्थान के गेट पर दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/ अधिकृत प्रतिनिधि को प्रॉक्सी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, जैसा भी मामला हो, उपस्थिति पर्ची पर दर्शाना चाहिए। प्रवेश पास को वोटिंग में शामिल होने के लिये समर्पित किया जाना चाहिये।

7. इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और उसमें किए गए संशोधनों के अनुपालन में तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) के विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसार असाधारण सामान्य बैठक के बैठक स्थल पर ई वोटिंग के अलावा सभी शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प देते हुए बैंक को अत्यंत प्रसन्नता है, तािक वे संकल्प पारित करने हेतु अपने वोट इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकें।

इस प्रयोजन के लिए बेंक ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रदान करने के लिए मैसर्ज सेंट्रल डिपासिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग और मतदान प्रक्रिया को उचित और पारदर्शी पद्धित से जाँच करने हेतु मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी, व्यावसायिक कंपनी सिचव, को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। कृपया नोट करें कि बैठक की तिथि से पूर्व जिन शेयरधारकों ने पहले ही अर्थात् रिमोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया हो वे असाधारण बैठक में भाग ले सकेंगे पर बैठक के स्थान पर मतदान के माध्यम से वोट करने के हकदार नहीं होंगे

इलैक्ट्रानिक रूप से मतदान हेत् सदस्यों को अनुदेश निम्नानुसार है :-

- (i) रिमोट ई-वोटिंग अविध 23.02.2020 को प्रातः 10.00 बजे से प्रारंभ होगी और 25.02.2020 को सायं 5.00 बजे को समाप्त होगी। इस अविध के दौरान, बैंक के शेयरधारक, जो कट-ऑफ तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) अर्थात् दिनांक 18.02.2020 को भौतिक रूप में या अमूर्त रूप में शेयर रखते हैं, अपना वोट इलैक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल डिसेबल किया जाएगा।
- (ii) शेयरधारक ई-वोटिंग वैबसाईट <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉगइन करें।
- (iii) शेयरधारकों/सदस्यों पर क्लिक करें।
- (iv) अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें।
 - क. सीडीएसएल हेत् : 16 अंक हिताधिकारी आईडी
 - ख. एनएसडीएल के लिए 8 अंक डीपी आई डी के बाद 8 अंक ग्राहक आईडी
 - ग. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करें।
- (v) आगे प्रदर्शित इमेज सत्यापन हेतु प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- (vi) यदि आप डीमैट रूप में शेयर रखते हैं और <u>www.evotingindia.com</u> में लॉग करके इससे पहले किसी कंपनी के लिए मतदान कर चुके हैं तो अपने वर्तमान पासवर्ड का उपयोग करें ।
- (vii) यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए अनुदेशों का पालन करें।

	विनिर्दिष्ट तिथि मंगलवार, 18.02.2020 को डीमैट रूप में और भौतिक रूप में शेयर रखने
	वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंक आल्फा-न्यूमेरिक पैन नंबर दर्ज करें। (डीमैट
	शेयरधारक तथा भौतिक शेयर धारक दोनों के लिए लागू)
	• जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपागार प्रतिभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं
	करवाया है उनसे अनुरोध है कि अपने नाम के पहले दो अक्षर और क्रम संख्या के 8
	अंक पैन फील्ड में दर्ज करें।
	• यदि क्रम संख्या 8 अंक से कम हो तो नाम के पहले दो अक्षर अंग्रेजी के बडे अक्षरों में
	दर्ज करने के बाद उचित संख्या में 0 लिखें । उदाहरण के लिए यदि आपका नाम रमेश
	कुमार है और क्रम संख्या 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 दर्ज करें।
लाभांश	लॉगइन करने के लिए अपने बैंक रिकार्ड या डीमैट खाते में रिकार्ड किए अनुसार जन्म
बैंक	तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई फार्मेट में) या लाभांश बैंक विवरण दर्ज करें।
विवरण या	 यदि निक्षेपागार या बैंक के पास दोनों विवरण दर्ज नहीं हैं तो कृपया अन्देश (v) में
जन्म	दिए अनुसार सदस्य आईडी/ फोलियो नंबर लाभांश बैंक विवरण फील्ड में दर्ज करें।
तिथि	ापर जनुसार सपस्य जाइडा/ प्रगालया नवर लामारा वक विवरण फाल्ड म देज करा

- (viii) ये विवरण ठीक से दर्ज करने के बाद 'सब्मिट' टैब पर क्लिक करें।
- (ix) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य तब सीधे कंपनी चयन स्क्रीन देख पाएंगे । तथापि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड मृजन' मेनु पर आएंगे जहां उन्हें अनिवार्यत: अपना लॉगइन पासवर्ड नए पासवर्ड फील्ड में दर्ज करना होगा । कृपया नोट करें कि यदि डीमैट धारक किसी अन्य कंपनी के संकल्पों पर मतदान देने के पात्र हैं तो वे इसी पासवर्ड का उपयोग करेंगे बशर्त कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म द्वारा रिमोट ई मतदान देने का चयन करता है । इसकी जोरदार सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखें।
- (x) भौतिक रुप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा इस नोटिस में समाविष्ट संकल्पों पर रिमोट ई—वोटिंग हेतु इन विवरणों का उपयोग किया जा सकता है।
- (xi) ईवीएसएन पर मतदान के लिए संबंधित <Andhra Bank> के चयन हेत् क्लिक करें।
- (xii) वोटिंग पृष्ठ पर आप 'संकल्प विवरण' तथा इस पर मतदान हेतु 'हाँ/नहीं' विकल्प देखेंगे । अपनी इच्छा अनुसार हां अथवा नहीं विकल्प का चयन करें । विकल्प हां का अर्थ है कि आप संकल्प हेतु अपनी सहमति दे रहे हैं तथा विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं ।
- (xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'संकल्प फाईल लिंक' पर क्लिक करें ।
- (xiv) मतदान हेतु संकल्प का चयन करने के पश्चात 'सब्मिट' पर क्लिक करें । पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा । यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए 'कैनसल' पर क्लिक करें तथा अपने वोट को तदनुसार बदलें ।
- (xv) संकल्प पर अपने मतदान की 'पुष्टि' के पश्चात, आप मतदान में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे ।
- (xvi) मतदान पृष्ठ पर 'क्लिक हेयर टू प्रिंट' विकल्प पर क्लिक करके, आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी ले सकते हैं ।
- (xvii) यदि कोई डीमैट खाता धारक लॉगइन पासवर्ड भूल गए हैं, तो वे यूज़र आईडी और इमेज सत्यापन कोड प्रविष्ट करें तथा फर्गाट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण प्रविष्ट करें ।
- (xviii) शेयरधारक एनड्रोयड आधारित मोबाइलों हेतु उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प एम-वोटिंग का प्रयोग करते हुए भी अपना मतदान दे सकते हैं । एम-वोटिंग एप्प गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है । एप्पल तथा विंडोस फोन प्रयोक्ता क्रमशः एप्प स्टोर तथा विंडोज फोन स्टोर से एप्प डाउन लोड कर सकते हैं । कृपया मोबाइल से मतदान करते समय मोबाइल एप्प द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करें ।
- (xix) <u>गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों तथा अभिरक्षक हेतु नोट</u>
 - गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (यथा व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) तथा अभिरक्षकों को <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉगइन करके स्वयं को कार्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा ।

- पंजीकरण फार्म की स्कैन प्रति जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर हों, helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल की जाए ।
- लॉगइन विवरण प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग कर अनुपालन यूज़र का सृजन किया जाए । अनुपालन यूज़र मतदान देने हेतु अपनी इच्छानुसार खाते लिंक करने हेतु सक्षम होंगे ।
- लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को ई-मेल की जाए तथा खातों के अनुमोदन के पश्चात वे अपना मतदान कर पाएंगे ।
- जांचकर्ता द्वारा सत्यापन हेतु अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और मुख्यतारनामा (पीओए), यदि हो तो, की स्कैन की गई प्रति, पीडीएफ फार्मेट में अपलोड की जाए ।

रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी प्रश्न अथवा समस्या हेतु, आप www.evotingindia.com में सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग नियमावली का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल भेज सकते हैं (सीडीएसएल हेल्पलाइन नम्बर 1800 200 5533) तथा सम्पर्क व्यक्ति का नाम राकेश दलवी है।

8. जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं दिया है, उनके लिए बुधवार, दिनांक 26.02.2020, (ईजीएम तिथि) को मतदान प्रक्रिया :

बैंक बैठक में मतदान हेतु व्यवस्था करेगा । मतदान की प्रक्रिया बैंठक में सूचित की जाएगी । मतदान का परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक के स्थान पर ई-वोटिंग के समेकित परिणाम बैंक की वैबसाईट तथा रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी यथा सीडीएसएल की वैबसाईट में प्रदर्शित किया जाएगा तथा बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा ।

<u> नोट :</u>

(i) पता में परिवर्तन, फोलियो का एकीकरण, भौतिक होल्डिंग का डिमटेरियलाइजेशन, अंतरण का लॉजमेंट तथा अदावी अथवा अदत्त लाभांश, यदि कोई हो, तो उससे सम्बन्धित सूचना भी दी जा सकती है। (ii) सेबी अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 दिनांक 8 जून, 2018 सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 में संशोधन के अनुसरण में, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण अथवा रूपान्तरण के अलावा, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोधों की प्रक्रिया तब तक नहीं की जाएगी, जब तक डिपॉजिटरी के पास प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज रूप में न हो । दूसरे शब्दों में, दिनांक 31 मार्च 2019 के पश्चात भौतिक शेयर का कोई हस्तांतरण नहीं होगा । तदनुसार, कृपया नोट करें कि बैंक/आरटीए दिनांक 1 अप्रैल 2019 से शेयरों के हस्तांतरण हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा ।

अधिसूचना की कार्यसूची मदों हेतु विवरणात्मक विवरणी :

भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर ईक्विटी शेयर के आबंटन द्वारा पूंजी बढ़ाना :

(विवरणात्मक विवरणी तथा प्रकटीकरण सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अध्याय **V** के अनुरूप निर्मित होना चाहिए।)

क) अधिमान्य जारी करने हेत् पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य :

बैंक, बैंकिंग तथा संबंधित गतिविधियों के व्यवसाय में है । वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी रू. 6000 करोड़ है। दिनांक 31.12.2019 को बैंक की पेड-अप इक्विटी शेयर पूँजी रू. 2984.49 करोड़ थी, जिसमें से बैंक की कुल पेड-अप पूंजी का 87.81% यथा रु. 2620.63 करोड़ भारत सरकार के पास था।

दि. 30.09.2019 को सीआरएआर विवरण निम्नानुसार है :

	विवरण	दि. 30.09.2019 को	
		रु. करोड़ में (सोलो)	सीआरएआर %
(क)	सीईटी 1	1184363.33	8.69
(ख)	ए टी-1	270000.00	1.98
(ग)	टीयर 1	1454363.33	10.67
	(ग=क+ख)		
(ঘ)	टीयर 2	403644.63	2.96
(량)	कुल नियामक पूंजी	1858007.96	13.63
	(ङ=ग+घ)		

व्यापार पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए, प्रवास तथा नवीन स्लिपेज सिहत दिवालियापन संहिता के अन्तर्गत संकल्प हेतु एनसीएलटी को बड़ी राशि वाले एनपीए खातों के संदर्भ में उच्च प्रावधान आवश्यकताओं तथा वित्त वर्ष - 21 हेतु अनुमानित व्यवसाय के समर्थन हेतु बैंक के पूंजीगत आधार को मजबूत करने की आवश्यकता तथा बेसल-III मानदंडों के अन्तर्गत सभी लागू पूंजी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक को, भारत सरकार तथा/अथवा अन्य चयनित व्यक्ति अथवा वित्तीय संस्थान सिहत व्यक्तियों के समूह के पक्ष में अधिमानी आबंटन के माध्यम से पूँजी जुटाने के अन्य मार्गों के अलावा इक्विटी पूंजी जुटाने की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने अपने पत्र एफ.सं.7/23/2019-बीओए-। दिनांक 26.12.2019 के माध्यम से कुछ मानदंडों के अनुपालन की शर्त पर अधिमानी आबंटन के माध्यम से बैंक की इक्विटी पूंजी में रू 200 करोड़ की सीमा तक पूंजी बढ़ाने की अपनी इच्छा को सूचित किया है।

जुटाई गई पूंजी का उपयोग बैंक की सामान्य इक्विटी तथा टीयर - l पूंजी के संग्रहण हेतु किया जाएगा l

सम्पूर्ण अधिमान्य इश्यु नकद हेत् भारत सरकार को आबंटित की जा रही है ।

भारत सरकार को आबंटित की जाने वाली शेयरों पर इश्यु मूल्य को सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित किया गया है। दिनांक 27.01.2020 को प्रासंगिक तिथि के रूप में मानते हुए, भारत सरकार को प्रीमियम सिहत इश्यु मूल्य रु. 18.01 प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित की गई है।

अधिमान्य इश्यु से पूर्व तथा पश्चात शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

क्रमांक	श्रेणी	इश्यु से पूर्व		इश्यु के पश्चात	
		(दि. 30.01.2020 को)		(अनुमानित)	
		शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग	शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग
			%		%
क	प्रोमोटर				
	भारत सरकार	2620634630	87.81	2731684046	88.25
ख	गैर-प्रोमोटर				
	सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग	363853210	12.09	363853210	11.75
	कुल	2984487840	100.00	3095537256	100.00

बैंक में भारत सरकार का पूर्व एवं पश्चात इश्य्

पूर्व इश्यु		पश्चात इश्यु	
शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या प्रतिशत	
2620634630	87.81	2731684046	88.25

अधिमानी आबंटन सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय V के अन्सार किया जाएगा ।

तथापि, प्रस्तावित अधिमान्य इश्यू से पूर्व भारत सरकार की शेयर धारिता 75% से अधिक है, सेबी एसएएसटी विनियमन की प्रयोज्यता से छूट आवश्यक नहीं है ।

सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 170(1) के संदर्भ में, उपर्युक्त विशेष प्रस्ताव के अनुसार आबंटन केन्द्र सरकार के किसी भी नियामक प्राधिकारी से अनुमोदन अथवा अनुमित की प्राप्ति के अधीन पास होने की तिथि से पंद्रह दिन की अविध के अन्दर पूरा किया जाएगा । यदि आबंटन हेतु आवश्यक कोई अनुमोदन लंबित रहता है, तो मामले के अनुसार पंद्रह दिन की अविध अनुमोदन अथवा अनुमित की तिथि से गिना जाएगा ।

केंद्र सरकार को इक्विटी शेयरों का पूरा आबंटन डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में किया जाएगा ।

सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 167(6) के अनुसार, भारत सरकार की पूरी पूर्व-अधिमानी होल्डिंग्स को वर्तमान अधिमानी आबंटन के अन्तर्गत आबंटित शेयरों हेतु व्यापार अनुमोदन की तिथि से 6 महीने तक प्रासंगिक तिथि से बंद कर दिया जाएगा । विनियमन 167(1) के संदर्भ में, भारत सरकार को आबंटित नवीन शेयर, बैंक की पेड-अप पूंजी के अधिकतम 20% के अधीन व्यापार वतर्मान अधिमानी आबंटन के अन्तर्गत आबंटित शेयरों हेतु व्यापार अनुमोदन की तिथि से 3 वर्ष के लिए लॉक कर दिया जाएगा तथा 20% से अधिक व्यापार अनुमोदन की तिथि से 1 वर्ष तक लॉक कर दिया जाएगा ।

बैंक के इक्विटी शेयर 6 माह से अधिक समय हेतु सूचीबद्ध किए गए हैं तथा तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 164(2) एवं (3) के प्रावधान लागू नहीं हैं ।

बैंक के इक्विटी शेयरों को बारम्बार स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर वे सूचीबद्ध हैं यथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड पर व्यापार किया जाता है।

सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इश्यु तथा इश्यु का मूल्य निर्धारण किया जा रहा है, जिसे बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में हैं तथा बैंक सेबी सूचीकरण विनियम के अन्तर्गत निर्धारित इक्विटी शेयरों की निरंतर सूची की शर्तों का अनुपालन कर रहा है ।

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियमन 41(4) तथा सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय V के संदर्भ में, बैंक अधिमानी आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित इश्यु हेतु विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की स्वीकृति मांगता है।

भारत सरकार, बैंक के प्रमोटर होने पर बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेगी और प्रस्तावित अधिमान्य आवंटन के परिणामस्वरूप बैंक पर प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

निदेशक मंडल नोटिस की मद संख्या 1 में निर्धारित के अनुसार विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक का कोई भी निदेशक विशेष संकल्प में रूचि नहीं रखता है।

निदेशक मंडल के आदेश से कृते आन्धा बैंक

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 30.01.2020

(रघुराम मालेला)

कंपनी सचिव

😘 आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

उपस्थिति स्लिप सह-प्रवेश पास असाधारण आम बैठक

दिनांक : 26.02.2020 समय : प्रात: 11.00 बजे

स्थान : 'पद्टाभि भावनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल में प्रवेश करते समय सुपूर्द करनी है)

नाम (बड़े अक्षरों में)	33
(शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधीकृत प्रतिनिधि)	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं.	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी
(यदि अमूर्त नहीं हो)	(यदि अमूर्त हो)
शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के	
हस्ताक्षर	

🕦 आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पद्राभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004 **प्रवेश पास**

दिनांक : 26.02.2020 समय : प्रात: 11.00 बज़े

स्थान : 'पट्टाभि भावनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधीकृत प्रतिनिधि)			
शेयरों की संख्या			
<u>पंजीकृत फोलियो</u>		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि अमूर्त नहीं हो)		(यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के			
<u>हस्ताक्षर</u>			

शेयरधारकों/ शेयरधारक के प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक स्थल में प्रवेश हेतु उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को, बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर करके, प्रवेश पास सिहत प्रस्तुत करें। तथापि प्रवेश, यथा आवश्यक माने गए सत्यापन/जाँच की शर्त पर है। प्रवेश पास - शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि को वापिस सौंप दिया जाएगा, जिन्हें बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, बैठक में प्रवेश हेतु कोई इ्प्लिकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रविष्टि पास जारी नहीं की जाएगा।

🕠 आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है) पंजीकृत फोलियों नं

(यदि अमूर्त न हो) डीपीआईडी नं

ग्राहक आईडी नं (यदि अमृतं हो)

	शेयरों की संख्या	
मैं/हम		
निवासी	जिला	•
राज्य आन	धा बैंक के शेयरधारक होने	के नाते एतद्दवारा
श्री/श्रीमती		
	राज्य	
या इनके न आने पर श्री/श्रीमती		
या इनके न आने पर श्री/श्रीमती निवासी जिला	राज्य	
निवासी जिला को आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की बुधवार, प	 फरवरी 26, 2020 को प्रातः	11.00 बजे आन्ध्रा बैंक प्रधान
कार्यालय, डा. पहाभि भवन, सैफाबाद, हैदराब	ाद - 500004 में होने वाली	असाधारण आम बैठक और
उसके किसी स्थगन में मेरे/हमारे लिए और	मेरी/हमारी ओर से वोट देने	के लिए प्राक्सी के रूप में
नियुक्त करता/करती ह्ं/करते हैं ।		
इस पर2020 को	के दिन हस्ताक्षर किये ।	
		रु 1/- का राजस्व
		स्टांप कृपया
		चिपकाएं
		। विभक्तार
		
प्रॉक्सी शेयरधारक के हस्ताक्षर	प्रथम नामि	त/एकमात्र शेयरधारक के
		हस्ताक्षर
		CVIIIIV
नाम		
ਧਗ		

पाक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश :

- 1. प्राक्सी का कोई लिखित तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि,
 - क) वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो ।
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो ।
 - ग) निगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो । यह ध्यान दें कि उन्हें विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि / प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु अधिकार देने वाले संकल्प की एक प्रति संलग्न की जानी है, जो बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो ।
- 2. प्राक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के पर्याप्त हस्ताक्षर हों जो किसी कारणवंश अपना नाम/अंगूठा-छाप लगाने में असमर्थ हों, तो उस पर निशान लगाएं और वह निशान किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ अशुरेंसेस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी दवारा सत्यापित किया जाए।

3. प्राक्सी के साथ

- क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा, नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति, आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 में जमा की जाए ।
- ख) असाधारण आम बैठक प्रारंभ होने के **चार दिन** पहले यानी कि **गुरुवार, 20.02.2020** के कार्यसमय की समाप्ति सायं 5.00 बजे, को या इससे पहले ।
- 4. प्राक्सी का कोई लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित न हो तथा विनियम के फार्म 'बी' में न हो ।

- 5. बैंक में जमा करायी गयी प्राक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी ।
- 6. वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे ।
- 7. प्राक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो ।
- 8. जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
- 9. प्रॉक्सी धारक प्रत्येक संकल्प "के लिए" अथवा "उसके विरुद्ध" मतदान कर सकता है ।
- 10. प्रॉक्सी फॉर्म में सभी परिवर्तन विधिवत् सम्यक रुप से अधिप्रमाणित होने चाहिए ।

😘 आन्ध्रा बैंक Andhra Bank

Dept: Merchant Banking Division प्रधान कार्यालय **Head Office** :: हैदराबाद **Hyderabad.**

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of ANDHRA BANK will be held on Wednesday, February 26, 2020 at 11.00 am at 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad- 500 004 to transact the business set out below:

<u>Item No 1 : Raising of capital by allotment of equity shares to Government of India on preferential basis</u>

To consider and, if thought fit, to pass the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the applicable provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 ("The Act"), Banking Regulation Act, 1949. The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 ("The Scheme"), as amended from time to time and subject to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 (hereinafter referred to as "SEBI ICDR Regulations"), Depositories Act 1996, SEBI (Depositories and Participants) Regulations 2018, SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011 (hereinafter referred to as "SEBI SAST Regulations"), (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations"), Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as "Bank Regulations"), and any amendments thereto or re-enactment thereof, Ministry of Finance Letter F.No. 7/23/2019-BOA-I dated 26.12.2019, approval by the Bank's Board of Directors at its meeting dated 30.01.2020 and subject to the approvals, consents, sanctions, if anv. of the Government of India (hereinafter referred to as "Gol", Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI"), Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "SEBI"), the Stock Exchanges on which the securities of the Bank are listed and/or such other authority as may be required in this regard, and subject to such terms and conditions and modifications thereto as may be prescribed while granting such approvals by such authorities and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank ("Board of Directors shall include any "Committee" constituted or to be constituted by the Board in this regard) such other Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications, Directions as may be applicable from time to time or any modification thereto or re-issuance thereof, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to create, offer, issue and allot upto 11,10,49,416 (Eleven Crore Ten Lakhs Forty Nine Thousand Four Hundred Sixteen) equity shares of Rs.10/- each to the President of India acting on behalf of the Government of India at Rs 18.01p per equity share including premium of Rs. 8.01 per equity share as determined in accordance with Regulation 164 (1) under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations aggregating upto Rs.200 Crore (Rupees Two Hundred Crore Only) for cash on preferential basis."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for fixing the issue price in terms of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations is 27.01.2020."

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be issued, shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank in all respects including dividend and be subject to lock-in requirements as prescribed under the Regulation 167 of the SEBI ICDR Regulations for fresh issue, and be listed on the Stock Exchanges on which the Bank's existing equity shares are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board / Committee be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper, desirable or expedient without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the new equity shares to be issued and allotted as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where existing equity shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer and /or Executive Director(s) (in absence of the Managing Director & Chief Executive Officer) to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors
For ANDHRA BANK

Place: Hyderabad Date: 30.01.2020

Raghuram Mallela Company Secretary

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Bank Regulations, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Specified Date**, i.e. 18.02.2020, shall have one vote for each share held by him/her in remote e-voting / voting at the venue of the General Meeting.

Please note that the shareholders who hold the shares as on this date are only eligible to vote.

Exercise of rights of joint holders:

As per Regulation 10 of the Bank Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote on the resolutions.**

3. SPECIFIED DATE

The Bank has fixed Tuesday, **18.02.2020** as the Specified Date for the purpose of determining the Shareholders entitled to vote.

4. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

As per the Bank Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Merchant Banking Division, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004 not less than FOUR DAYS before the date of the meeting i.e upto 05.00 p.m on or before Thursday, **20.02.2020.**

5. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/ her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than FOUR DAYS before the date of the meeting i.e upto 05.00 p.m on or before Thursday, **20.02.2020**.

No person shall be appointed as an authorized representative who is an officer or an employee of Andhra Bank.

6. ATTENDANCE SLIP -CUM- ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter Entry Pass shall be issued to them. Proxy/ Authorised Representative of the shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be. Entry Pass shall be surrendered to participate for voting at the meeting.

7. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

In terms of Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and compliance to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto, the Bank is pleased to offer Remote e-voting facility besides e-voting at the venue of the general meeting, for its Members at the Extra-ordinary General Meeting which will enable them to cast their votes electronically and to pass the RESOLUTIONS.

For this purpose, the Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as a Remote e-voting platform for facilitating its Shareholders to vote electronically. The Bank has also appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting and voting at the venue of the general meeting in a fair and transparent manner.

Remote e-voting is OPTIONAL. Please note that a shareholder may participate in the EGM even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the venue of the meeting.

The instructions for Members for voting electronically are as under:-

- (i) The remote e-voting period begins at 10.00 A.M. on 23.02.2020 and ends at 5.00 P.M. on 25.02.2020. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Specified date i.e. 18.02.2020, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the Remote e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders/ Members.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form as on the		
	Specified Date Tuesday, 18.02.2020		
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)		
	 Members who have not updated their PAN with the Bank/RTA/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field. 		
Dividend Bank	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.		
Details	If both the details are not recorded with the Depository or Bank/ RTA,		
OR Date	please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details		
of Birth (DOB)	field as mentioned in instruction (v).		

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for Remote e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for Remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for the relevant <ANDHRA BANK> on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If a Demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which
 they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in
 PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have any queries or issues regarding Remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Remote e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com; (CDSL helpline No. 1800 225 533 and Contact Person Name is Mr. Rakesh Dalvi).

8. <u>Voting process on Wednesday, 26.02.2020 (EGM Date) for those who have not cast their vote through Remote e-voting:</u>

The Bank will arrange for voting at the meeting. The procedure of voting will be informed at the meeting.

RESULTS OF VOTING

The consolidated results of Remote e-voting and e-voting at the venue of the meeting will be hosted on the website of the Bank and on the website of the Remote e-voting Agency viz CDSL and will be informed to the Stock Exchanges within 48 hours of conclusion of the Meeting.

Note:

- (I) Information regarding Change of Address, Consolidation of Folios, Dematerialisation of Physical Holding, Lodgment of transfers and unclaimed or unpaid dividend, if any may also be given.
- (II) Pursuant to SEBI notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated 8th June 2018, amending the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting the transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. In other words, there will not be any transfer of physical share after 31st March 2019. Accordingly, please note that Bank/RTA will not accept any request for transfer of shares which are in physical form with effect from 1st April 2019.

EXPLANATORY STATEMENT FOR THE AGENDA ITEM OF THE NOTICE:

Raising of capital by allotment of equity shares to Government of India on preferential basis

(Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter V of SEBI (ICDR) Regulations, 2018)

a) Background and Object of the Preferential Issue:

The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is Rs 6000 crore. The paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31.12.2019 was Rs 2984.49 crore with Government of India holding of Rs 2620.63 crore constituting 87.81% of the total paid-up capital of the Bank.

The details of CRAR on 30.09.2019 is as follows:

	Particulars	Actuals as on 30.09.2019		
		Rs. in lakhs (solo) CRAR		
(a)	CET1	1184363.33	8.69	
(b)	AT1	270000.00	1.98	
(c)	Tier 1	1454363.33	10.67	
	(c=a+b)			
(d)	Tier 2	403644.63	2.96	
(e)	Total Regulatory Capital	1858007.96	13.63	
	(e=c+d)			

Considering the business forecast, the higher provisioning requirements on account of references of large ticket NPA accounts to NCLT for resolution under the Insolvency & Bankruptcy Code along with migration & fresh slippages and the need for strengthening the Bank's capital base to support the envisaged business for FY-21 and to ensure compliance to all applicable capital norms under Basel – III regime, it has become necessary for the Bank to raise equity capital through Preferential Allotment in favour of the Government of India and/or other select persons or group of persons including financial institutions apart from other avenues of raising capital.

The Government of India vide their letter F.No.7/23/2019-BOA-I dated 26.12.2019 communicated its intention to infuse capital to the extent of Rs.200 crore in the equity capital of the Bank by way of Preferential Allotment subject to fulfillment of certain criteria.

The capital raised would be utilized for the purpose of shoring up of the Common Equity and Tier – I capital of the Bank.

This entire preferential issue is being allotted to Government of India for cash.

The Issue Price on shares to be allotted to GOI has been determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations. Considering 27.01.2020 as the Relevant Date, the Issue Price including premium to GOI is fixed at Rs.18.01p per equity share.

SI.No.	Category	Before	the Issue	After the Issue		
		(As on 3	30.01.2020)	(Estimated)		
		No. of Shares Shareholding		No. of	Shareholding	
			%	Shares	%	
A.	Promoter					
	Govt. of India	2620634630	87.81	2731684046	88.25	
B.	Non-					
	Promoter					
	Public	363853210	12.19			
	Shareholding			363853210	11.75	
	Total	2984487840	100.00	3095537256	100.00	

Pre and Post Issue holding of GOI in the Bank:

Pre Issue		Post Issue		
Number of Shares	%age	Number of Shares	%age	
2620634630	87.81	2731684046	88.25	

The Preferential allotment shall be made in accordance with the Chapter V of the SEBI ICDR Regulations.

Further, since the shareholding of GOI is more than 75% before the proposed preferential issue, obtaining exemption from the applicability of SEBI SAST Regulations is not required.

In terms of the Regulation 170(1) of the SEBI ICDR Regulations, allotment pursuant to the above stated special resolution shall be completed within a period of fifteen days from the date of passing subject to the receipt of the approvals or permissions from any regulatory authority or the Central Government. If any approval necessary for the allotment remains pending, the period of fifteen days shall be counted from the date of approval or permission, as the case may be.

The entire allotment of equity shares to the Central Government shall be made in dematerialized form.

In accordance with the Regulation 167(6) of SEBI ICDR Regulations, the entire pre-preferential holdings of Government of India shall be locked-in from the Relevant Date up to 6 months from the date of trading approval for the shares allotted under the present preferential allotment. In terms of Regulation 167(1), not more than twenty per cent. of the total capital of the Bank shall be locked-in for three years from the date of trading approval and beyond 20% shall be locked in for 1 year from the date of trading approval.

The equity shares of the Bank have been listed for more than 6 months and accordingly, provisions of Regulation 164(2) and (3) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

The Bank's equity shares are frequently traded on the stock exchange on which they are listed i.e. National Stock Exchange of India Ltd. & BSE Ltd.

The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue and the issue-pricing is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the Meeting.

All the shares held by the Government of India are in dematerialized form and the Bank is complying with the conditions of continuous listing of equity shares as prescribed under SEBI Listing Regulations.

In terms of Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations and Chapter V of SEBI

ICDR Regulations, the Bank seeks the approval of the shareholders by way of a

Special Resolution for the proposed issue of equity shares to Government of India on

preferential basis.

Government of India, being promoters of the Bank will continue to vest their control

over the Bank and there will not be any change in the Management / control of the

Bank as a result of the proposed preferential allotment.

The Board of Directors recommends the passing of the Special Resolutions as set

out in Notice.

None of the Directors of the Bank are interested in the Special Resolution.

By order of the Board of Directors For ANDHRA BANK

Place: Hyderabad

Date: 30.01.2020

Raghuram Mallela Company Secretary

😘 आन्धा बैंक Andhra Bank

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500 004.

ATTENDANCE SLIP-CUM- ENTRY PASS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: 26.02.2020 **Time:** 11.00 A.M.

Place: 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, Saifabad, Hyderabad - 500 004

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Name in Block Letters	
(Shareholder/Proxy/Authorised Representative)	
Number of Shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialised)	DP ID & Client ID (If dematerialised)
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	,

😘 आन्ध्रा बैंक Andhra Bank

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004

ENTRY PASS

Date: 26.02.2020 **Time:** 11.00 A.M.

Place: 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, Saifabad, Hyderabad - 500 004

(to be retained throughout the meeting)

Name in Block Letters	
(Shareholder/Proxy/AR)	
No. of Shares	
Regd. Folio	DP ID & Client ID
(If not dematerialized)	(If dematerialised)
Signature of the Shareholder/	
Proxy/Representative present	

Shareholders / Proxy or Authorised Representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the Entry Pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The Entry Pass will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip- cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting.



Regd. Folio No.

(if not Dematerialised)

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500 004.


PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

		DF	P ID No).			
			ient ID				
		(if	Dema	terialised)			
		No	o. of sh	ares			
1 / \\/ -							! -1 4/-
I / We					in		ident/s
of		in the	Stata	of	IN	the Distr	ici o
shareholder / s		III lile -	Sank	UI Hyderabad	horoby	D	illy a Shri
						ident	
Smt				in		District	
	in the State	e of		in or f	ailing hin	n/her Shri	/ Sm
in the State of	Resident of			in the Distri	ct of	11/11/01, 01/11/	, О
in the State of		as mv / o	our pro	xv to vote for	or me / us	and on m	v / oui
behalf at the Extra	aordinary Genera	al Meeting c	of the s	hareholders	of Andhra	a Bank to b	e held
on Wednesday, I							
Hyderabad – 500						•	
	•						
Signed this	day of		2020				
				Please	affix		
				Revenue)		
				Stamp			
				Re.1/-			
o: , , , , ,		0.					
Signature of Proxy	У	Si		e of first nam	ed /		
Mana a .			sole s	shareholder			
Name:							
Address:							

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorized in writing;
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorized in writing;
 - c) in the case of a body corporate signed by its officers' or an attorney duly authorized in writing. It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative / power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.
- 2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.
- 3. The proxy together with
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500 004.
 - b. not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 05.00 p.m. on **Thursday**, **20.02.2020**.
- 4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulations.
- 5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- 8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.
- 9. The proxy holder may vote either "FOR" or "AGAINST" the each resolution.
- 10. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.



यदि सुपुर्द न किया गया हो तो, कृपया निम्न को लौटाए : आन्ध्रा बैंक शेयरधारक एवं निवेशक संपर्क अनुभाग प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद,

हैदराबाद - 500 004, तेलंगाना.

If Undelivered, Please return to:

ANDHRA BANK

Shareholders & Investors Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004, Telangana.



(A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004. Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.